राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

NHB (ND)/ROD/ HFC/Refinance Circular 04/2021-2022
February 25, 2022

All Eligible Housing Finance Institutions

Madam / Sir

Refinance Circular No. 04/2021-22 – Revised format for Certificates on Adverse Balance

As per the existing guidelines, the Quarterly Certificate of Adverse Balance (NHB-HFC-10) and the Half Yearly Certificate of Adverse Balance (NHB-HFC-05) are to be filed within their respective time periods stating that the total outstanding of the loans flagged as security to NHB is in conformity with the sanctioned terms. On occurrence of any adverse balance, the adverse balance shall be paid by respective HFC to NHB.

2. A new parameter has been included in the certificates on Adverse Balance under the name of "Reason for shortfall". Companies are requested to convey the reason for the shortfall like prepayment from the ultimate beneficiaries, conversion to NPA accounts etc. for the respective loan accounts in the corresponding cell.

3. Additionally, the HFCs are also required to state the date of remittance of previous certificate and adverse balance amount (if any).

4. The revised formats on Certificates on Adverse Balance may be downloaded from the Bank's website.

5. The revised format shall be applicable w.e.f. quarter ended March 2022.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Vishal Goyal)
General Manager
Refinance Operations Department

भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय
कोर 5-ए, तीसरे से पांचवां तल, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-3918 7000 फैक्स : 011-2464 9030
Statutory Body under the Government of India
Core 5-A, 3rd to 5th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003
Phone : 011-3918 7000 Fax : 011-2464 9030

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/आ.वि.कं./ पुनर्वित्त परिपत्र-04/2021-22
25 फरवरी, 2022

सभी पात्र प्राथमिक ऋण संस्थानों को

महोदया/महोदय,

पुनर्वित परिपत्र संख्या 04/2021-22 - प्रतिकूल शेष राशि पर प्रमाण पत्र हेतु संशोधित प्रारूप

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिकूल शेष राशि का तिमाही प्रमाण पत्र (एनएचबी-एचएफसी-10) और प्रतिकूल शेष राशि का अर्धवार्षिक प्रमाण पत्र (एनएचबी-एचएफसी-05) अपने संबंधित समयावधि के भीतर यह उल्लेख करते हुए दाखिल किया जाना है कि रा.आ. बैंक को प्रतिभूति के रूप में चिह्नित कुल बकाया ऋण स्वीकृत शर्तों के अनुरूप हैं। कोई प्रतिकूल शेष होने पर, संबंधित आवास वित्त कंपनी द्वारा रा.आ. बैंक को प्रतिकूल शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

2. "कमी का कारण" के नाम से प्रतिकूल शेष राशि पर प्रमाणपत्रों में एक नया मानदंड शामिल किया गया है। कंपनियों से अनुरोध है कि वे संबंधित सेल में संबंधित ऋण खातों के लिए अंतिम लाभार्थियों से पूर्व भुगतान, एनपीए खातों में परिवर्तन आदि जैसी कमी का कारण बताएं।

3. इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों को पिछले प्रमाणपत्र के प्रेषण की तारीख और प्रतिकूल शेष राशि (यदि कोई हो) का भी उल्लेख करना आवश्यक है।

4. प्रतिकूल शेष राशि पर प्रमाणपत्रों के संशोधित प्रारूप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

5. संशोधित प्रारूप मार्च 2022 को समाप्त तिमाही से लागू होगा।

कृपया पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विशाल गोयल)
महाप्रबंधक
पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग